



न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से
	6/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्वय का स्थानान्तरण हो गया सल्लकार्य में निरस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/2/25 को पेश हो।
	19/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्वय का स्थानान्तरण हो गया सल्लकार्य में निरस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/25 को पेश हो।
	12/3/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्वय का स्थानान्तरण हो गया सल्लकार्य में निरस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।
	28.3.25	पत्रावली पेश हुई। अविश्वता प्राप्ति उपस्थित। पूर्वरेख की मालना से पत्रावली दिनांक 23/4/25 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </div>
	23.4.25	पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति एवं अन्वय अविश्वता अनुपस्थित। प्राप्ति को आज न्यायालय में प्रथम प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवेदन लगायी गयी। आवेदन समाप्त लगवाने के उपरांत भी प्राप्ति के न्यायालय से हापिर नहीं जाने के कारण पत्रावली अन्वयित धारा - 9 नियम - 3 के तहत समय हापरी व समय परकी से खारिज की जाती है। पत्रावली जैसल सुमाट होकर नंबर से कम होकर धारिज रफ्तार हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </div>